मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल का त्रैमासिक न्यूज लेटर

जैवविविधता

अंक – 2 जुलाई – सितम्बर 2022

संपादकीय

डॉ अतुल श्रीवास्तव
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन, जैवसंसाधनों का संवहनीय उपयोग तथा लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधानित है। इस हेतु प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 (1) एवं मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर 23,557 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जैवविविधता नियम, 2004 (केन्द्र) के नियम 22 (6) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (9) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण किया जाना प्रावधानित है। लोक जैवविविधता पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी का समावेश किया गया है। बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतन कार्य हेतु मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मैदानी स्तर के जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को निरंतर अपडेट किये जाने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जैवविविधता सरंक्षण एवं संवर्धन तथा लोक जैवविविधता पंजी अद्यतन कार्य में स्थानीय समुदाय, स्थानीय निकायों, जैवविविधता प्रबंधन समितियो एवं जैवविविधता से साझा सरोकार रखने वाले विभागों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं जैवविविधता नियम, 2004 के उदेश्य अनुसार जैवसंसंसाधनों से उदभूत लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन किया जाना प्राधानित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन की राशि बोर्ड प्रदान की जा रही है।

लोक जैवविविधता पंजी अद्यतन कार्य तथा लाभ प्रभाजन की राशि से मैदानी स्तर पर जैवविविधता संरक्षण का कार्य हेतु स्थानीय निकायों पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण आवश्यक है। जैवविविधता से साझा सरोकार रखने वाले मैदानी स्तर के विभागों (वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी) द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा है।

शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

जैवविविधता शिक्षा एवं जागरूकता

1. वनवृत्त स्तरीय जैवविविधता जागरूकता कार्यशाला

अ. क्षेत्रीय वनवृत्त – इन्दौर

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अंतर्गत गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से लाभ प्रभाजन के संबंध में इंदौर वन वृत्त की कार्यशाला वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डल–इंदौर के कार्यालय में दिनांक 04.08.2022 को आयोजित की गई।

कार्यशाला का आयोजन श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास एवं संयुक्त वन प्रबंधन म.प्र. की अध्यक्षता में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के आतिथ्य में किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, डॉ अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों एवं उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया। उनके द्वारा वन परिक्षेत्र स्तर के मास्टर ट्रेनर द्वारा मैदानी स्तर पर जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविवधिता संरक्षण से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यो के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यशाला में श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विकास एवं संयुक्त वन प्रबंधन म.प्र. द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण एवं जैवविविधता संरक्षण आधारित माइक्रोप्लान तैयार करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यशाला में बोर्ड के सहायक सदस्य सचिव एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण, जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 एवं विनियम, 2014 के प्रावधानों, लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया एवं कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर वनवृत्त इंदौर अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर वनमंडल में व्यापारियों के साथ किये जा रहे लाभ प्रभाजन एवं अनुबंध कार्य की समीक्षा भी की गई।

कार्यशाला में श्री एच. एस. मोहन्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त–इंदौर म.प्र, श्रीमती कमलिका मोहन्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), इंदौर, श्री पी. जी. फुलझले, मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), इंदौर म.प्र., श्री नरेन्द्र पण्डवा, वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल – इंदौर म.प्र., श्री जी.डी. बरबड़े, वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल – धार म.प्र., डॉ. बकुल लॉड, सहायक सदस्य सचिव, (सी एण्ड डी), म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव, (बायो), म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, के तकनीकी विशेषज्ञ तथा इंदौर, धार एवं झाबुआ वनमंडलों के वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन रक्षक, मास्टर ट्रेनर्स एवं पर्यावरणविद् उपस्थित हुये।

कार्यशाला के अंत में वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल–इंदौर श्री नरेन्द्र पण्डवा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला का समापन किया गया।

वनवृत्त इन्दौर वन मण्डल अंतर्गत दिनांक 04.08.2022 को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण कार्य हेतु के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

ब. क्षेत्रीय वनवृत्त – छतरपुर

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अंतर्गत गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से लाभ प्रभाजन के संबंध में छतरपुर वन वृत्त की कार्यशाला वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डल – छतरपुर के कार्यालय में दिनांक 26.08.2022 को आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव के अध्यक्षता मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के आतिथ्य में किया गया।

कार्यशाला के प्रारंभ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, डॉ अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों एवं उपयोगिता के बारे में अवगत कराया गया। उनके द्वारा वन परिक्षेत्र स्तर के मास्टर ट्रेनर द्वारा मैदानी स्तर पर जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविवधिता संरक्षण से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यो के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यशाला में बोर्ड के सहायक सदस्य सचिव एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण, जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 एवं विनियम, 2014 के प्रावधानों, लाभ प्रभाजन की प्रक्रिया एवं कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस अवसर पर वनवृत्त छतरपुर अंतर्गत वनमंडलों (छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना एवं टीकमगढ़) के अंतर्गत व्यापारियों के साथ किये जा रहे लाभ प्रभाजन एवं अनुबंध के संबंध में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। कार्यशाला में मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त – श्रीमति राखी नंदा, वन संरक्षक, कार्य आयोजना, छतरपुर (म.प्र.) छतरपुर, श्री उत्तम कुमार शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त – छतरपुर म.प्र., श्री महेन्द्र सिंह, वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल–टीकमगढ़ म.प्र., श्री अनुराग कुमार, वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल–छतरपुर म.प्र., श्री गौरव शर्मा, वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल– उत्तर पन्ना म.प्र., श्री पुनीत सोनकर, वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल– दक्षिण पन्ना म.प्र., तथा कार्यशाला में छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना एवं टीकमगढ़ वनमंडलों के वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन रक्षक, मास्टर ट्रेनर्स एवं पर्यावरणविद् उपस्थित हुए।

कार्यशाला का समापन वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल–छतरपुर श्री अनुराग कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला का समापन किया गया।

वनवृत्त छतरपुर वन मण्डल अंतर्गत दिनांक 26.08.2022 एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया।

स. क्षेत्रीय वनवृत्त –शहडोल

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अंतर्गत गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से लाभ प्रभाजन के संबंध में शहडोल वन वृत्त की कार्यशाला वन परिक्षेत्र–अमरकंटक, (वनमण्डल – अनुपपूर) के वन विद्यालय के सभागार में दिनांक 28.09.2022 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से आयोजित की गई। कार्याशाला में शहडोल वन वृत्त के वनमण्डल–उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया एवं अनुपपूर के वन परिक्षेत्र अधिकारी, वनरक्षक, मास्टर ट्रेनर्स तथा जैवविविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। प्रशिक्षण में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.बो., श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), म.प्र., डॉ. पी.सी. दुबे, (सेवानिवृत्त), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, (एनएमपीबी) एवं श्री के. रमन, (सेवानिवृत्त), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. द्वारा जैवविविधता संरक्षण से जुडे विभिन्न मुददों पर विशेषकर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण तथा लोक जैवविविधता पंजी निमार्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा जैवविविधता प्रकोष्ठ के अधिकारी, कर्मचारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण/अद्यतनीकरण कार्य, जैवविविधता अधिनियम, 2002 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 एवं विनियम, 2014 के प्रावधानों, एबीएस की प्रक्रिया (SoP) एवं लाभ प्रभाजन की कार्यवाही के संबंध में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वन परिक्षेत्र – अमरकंटक, (वनमण्डल – अनुपपूर) के वन विद्यालय के सभागार में दिनांक 28.09.2022 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2. ''नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी कंसर्वेसन''

शहरी जैवविविधता संरक्षण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं 'द नेचर वालंटियर्स', इंदौर द्वारा एन.बी.ए चेन्नई व अन्य संस्थाओं के सहयोग से दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी एण्ड कंसर्वेसन का प्रथम आयोजन इंदौर में दिनांक 05 एवं 06 अगस्त 2022 को किया गया। कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट सिटी इंदौर, एप्को, भोपाल, डब्लू.डब्लू.एफ. इंडिया, ICLEI, South Asia, जैविक सेतू, टाउन प्लानर्स संस्थान द्वारा सह–आयोजक के रूप में भाग लिया गया। वन विभाग, मध्यप्रदेश की ओर से वन वृत्त– इंदौर (इंदौर, धार एवं झाबुआ) के मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहायक सदस्य सचिव एवं तकनीकी विशेषज्ञ कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री अभिलाष खांडेकर द्वारा कार्यक्रम का परिचय देते हुए समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉ. वी. बी. माथुर, चेयरमैन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई, कार्यक्रम का उद्बोधन देते हुए जैवविविधता एवं शहरी जैवविविधता के महत्व से अवगत कराया गया एवं शहरों मे हो रहे विकास के साथ–साथ जैवविविधता संरक्षण को भी बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। डॉ. एस.एल. गर्ग, केसर पर्वत संरक्षक द्वारा इंदौर क्षेत्र में नगर वन स्थापित किया गया, जिसे ''केसर पर्वत'' के नाम से जाना जाता है। केसर पर्वत नगर वन निर्मित करने हेतु किये गये कार्यों के बारे में अवगत कराया गया।

उदघाटन सत्र में वन विभाग की ओर से श्री चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), वन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा नगर वन योजना के बारे में अवगत कराया गया एवं वन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सघन वृक्ष लगाये जाने की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा शहरी स्थानीय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन की प्रक्रिया एवं समितियों का शहरी जैवविविधता संरक्षण में महत्व तथा जैवविविधता नियम एवं अधिनियम पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा की गई एवं इस तकनीकी सत्र में श्री राजशेकर, NIUA, नई दिल्ली द्वारा Coexisting with nature for sustainable cities विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसी क्रम में बढ़ते हुए डॉ मोनालिसा सेन, ICLEI, नई दिल्ली द्वारा Ecology in Metropolitan Regions Tools, Processes and Policy Interventions विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजना शहरी जैवविविधता सूचकांक का परिचय देते हुए इसके महत्व के संबंध में अवगत कराया गया। कार्यशाला के द्वितीय तकनीकी सत्र के द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव द्वारा Role of Local Bodies in Urban Biodiversity Conservation विषय पर जैवविविधता नियम, 2002 एवं अधिनियम 2004 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर गठित समितियों की भूमिका तथा शक्तियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। कॉन्फ्रेंस के समापन के अवसर पर शहरी क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण आधारित इंदौर घोषणा पत्र "Indore Declatation on Urban Biodiversity" का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया।

इन्दौर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी एण्ड कंसर्वेसन संगोष्ठी

3. संगोष्ठी व जैवविविधता प्रदर्शनी (औषधीय पौधों के उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा)

मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ सहकारी मर्यादित भोपाल द्वारा दिनांक 03 एवं 04 सितम्बर 2020 को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, शाहपुरा भोपाल में आयोजित औषधीय पौधों के उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जारी सोविनियर में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन सरक्षक एवं सदस्य सचिव, द्वारा Conservation and sustainable used of tradable bio-resources in context of Biological Diversity Act, 2002 विषय पर पेपर प्रकाशित किया गया। इस विषय पर प्रस्तुतीकरण के लिए डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रथत पुरस्कार प्रदान किया गया।

संगोष्ठी के अवसर पर बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियो के सहयोग से जैवविविधता प्रदर्शनी (स्टॉल) में विलुप्तप्रायः संकटापन्न देशी प्रजातियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें औषधीय आधारित कृषि, उद्यानिकी फसलों की बीज़ तथा फलों एवं वानिकी क्षेत्र की विलुप्त प्रायः एवं संकटापन्न प्रजातियों तथा जैवसंसाधनों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया।

बोर्ड द्वारा आयोजित स्टॉल में संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आचार्य श्री बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, डॉ. कुवंर विजय शाह, माननीय मंत्री वन मध्यप्रदेश शासन, श्री राम किशोर कांवरे, राज्य मंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन मध्यप्रदेश, श्री अशोक बर्णवाल प्रमुख सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश द्वारा बोर्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

मान. कुवॅर विजय शाह, मंत्री, वन विभाग, मध्यप्रदेश एवं आचार्य श्री बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा बोर्ड की जैवविविधता प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

श्री अशोक बर्णबाल, प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं श्री राम किशोर कांवरे, राज्य मंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन मध्यप्रदेश शासन द्वारा बोर्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित की इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.) "National Seminar on Securing Human Health through use of Medicinal Plant" ''औषधीय पौधें के उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी''माननीय राज्य मंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसंधान, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में श्री अशोक बर्णबाल, प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, मर्यादित प्रमुख सचिव, श्री प्रतीक हजेला, आयुष मध्यप्रदेश, श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, श्री पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोजप सहकारी संघ मर्यादित के विशिष्ट आतिथ्य में दिनांक 04.09.2022 को संपन्न हुआ।

4. ध्वजारोहण कार्यक्रम – 2022

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता सीख एवं प्रदर्शन केन्द्र (डेमो सेन्टर) सूरज नगर भोपाल में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं सदस्य सचिव, द्वारा आजादी के 75 वर्षगाठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर दिनांक 15 अगस्त 2022 ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी उपथित हुये।

डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2022 ध्वजारोहण किया गया।

5. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा दिनांक **14.07.2022** एवं **29.08.2022** को ऑनलाईन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा माह – जूलाई 2022 तक संपादित कार्यो की एजेण्डावार समीक्षा की गई। बैठक में बोर्ड के कार्यो की प्रसंशा की गई।

6. वन परिक्षेत्र स्तर के मास्टर ट्रेनर का ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वन परिक्षेत्र स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति, जैवविविधता प्रबंधन समिति सह संयुक्त वन प्रबंधन समिति, स्थानीय समुदाय, जैव संसाधनों का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से "प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम" अंतर्गत वनवृत्त स्तरीय – नामांकित मास्टर ट्रेनर को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, किसान भवन, भोपाल द्वारा ऑनलाईन प्रशिक्षण माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में निम्नानुसार अधिकारीगण,तकनीकी विशेषज्ञ एवं जिलो के वन रक्षक एवं मास्टर ट्रेनर्स प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी.एण्ड.डी.) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), डॉ. गौरव सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), डॉ. कुनिका सिलोदिया, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), श्री विजेश हरियोले, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), श्री शुभम सिंह पंकज, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.), सुश्री शिवानी शर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.) द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतनीकरण के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा समस्त प्रतिभागी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण उपरांत वन परिक्षेत्र स्तर पर समितियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	दिनांक	वनवृत्त का नाम	प्रतिभागी मास्टर ट्रेनर की संख्या
1.	27.07.2022	इन्दौर	18
2.	25.08.2022	छतरपुर	32
3.	16.09.2022	सागर	22
4.	22.09.2022	शहडोल	34

7. जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा पौधा रोपण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्थापित जैवविविधता प्रदर्शन एवं सीख केन्द्र (डेमो सेंटर) द्वारा तैयार किये गये 16 वानिकी क्षेत्र की विपलुप्त प्रायः प्रजातियों के 2040 पौधो का वितरण जैवविविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत हिनौतीसड़क, जनपद पंचायत– बैरसिया भोपाल को किया गया। जैवविविधता प्रबंधन समिति–हिनौतीसड़क द्वारा स्थानीय समुदाय एवं छात्र–छात्राओ के सहयोग से दिनांक 17.09.2022 को समिति के सदस्यों एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, ग्राम पंचायत हिनौतीसड़क क्षेत्रान्तर्गत पौधा रोपण किया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समिति – हिनौतीसड़क द्वारा दिनांक 17.09.2022 को समिति पौधा रोपण किया गया।

बुक पोस्ट

प्रति,

....

....

....

प्रेषक –

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
प्रथम तल, किसान भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)
फोन : 0755–2554549, 2554539, 2764911
ई–मेल : mpsbb@mp.gov.in
वेबसाईट : www.mpsbb.mp.gov.in

संरक्षक

डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव
सदस्य सचिव

संपादक मण्डल

डॉ. बकुल लाड
सहायक सदस्य सचिव
(सी. एण्ड. डी)

डॉ. एलिजाबेथ थॉमस
सहायक सदस्य सचिव
(बायो)

शिवप्रताप सिंह बघेल
सहायक सदस्य सचिव
(प्रशा. / वित्त)